संख्या सा–3-911/दस–2001-933-89 टी०सी०

प्रेषक,

श्री वी०के० शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2001

विषय : पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3-1713/दस–87-933-89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 द्वारा पेंशन प्रकरणों को अंतिम रूप देने में होने वाले अनेक प्रकार के विलम्बों में कमी लाने के उद्देश्य से विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं किन्तु अब भी अनेक मामलों में विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर पेंशन प्रपत्रों को प्रेषित करने में विभिन्न कारणों से काफी विलम्ब किया जाता है जिसके कारण पेंशन के अनेक प्रकरणों में सेवानिवृत्ति के दिनांक के तत्काल बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य देय प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पेंशन के मामलों के सही तरीके से निस्तारित करने के संबंध में शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के मध्य गलत वेतन निर्धारण,सेवा पुस्तिका का पूर्ण न होना तथा अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत न होने के कारण पेंशन प्रकरण निस्तारित करने में विलम्ब होता है। अतः सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार और सरलीकृत प्रक्रिया अपनाने के आदेश प्रदान करते हैं :–

1—पेंशन प्राधिकार-पत्र जारी करने से पूर्व पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी सामान्यतया संबंधित सरकारी सेवक की अन्तिम 10 माह की परिलब्धियों की संनिरीक्षा करेंगे और पूरी अवधि के सही वेतन निर्धारण एवं भुगतान का दायित्व संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों का रहेगा। अदेयता प्रमाण-पत्र के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालयाध्यक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं स्थिति स्पष्ट करते हुए अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे। यदि किन्ही कारणों वश सेवानिवृत्ति की तिथि तक अदेयता की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो संबंधित पेंशनर से निर्धारित बन्धक-प्रपत्र पर बन्धक-पत्र भरवाकर सेवानैवृत्तिक लाभ अवमुक्त कर दिया जाए तथा बन्धक-पत्र की निर्धारित अवधि के भीतर अदेयता की स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करा लिया जाए ताकि शासकीय क्षति न हो।

2—जिन मामलों में लम्बित विभागीय कार्यवाही के कारण अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो उन मामलों में स्वयं से कर्मचारी को अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर ली जाये।

3—अतएव अनुरोध है कि आप कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्ति सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि को ही पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त हो सके।

भवदीय,
वी०के० शर्मा,
सचिव, वित्त।

संख्या सा–3-911(1)/दस–2001-933-89 टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2—प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5—समस्त संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, उत्तर प्रदेश।

6—समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।

7—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9—विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय।

10—राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–45 सा० वित्त—23-7-2001—(619)—12,000—कम्प्यूटर/आफसेट।